संशोधित।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

पत्रांक 3062/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक, 17/06/2022.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

विषयः— जनपद—सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0—8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक— 04.02.2022. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या—2315/11—सी—एफ0पी0/यू0पी0/रोड/59458/2020 दिनांक— 08.02.2022 इस कार्यालय के पत्रांक—3055/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक—16.06.2022.

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र सं0—8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक—04.02.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में वांछित धनराशि एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करानें हेतु आपसे अनुरोध किया गया है। (जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की कुल धनराशि मु0 9,75,63,144.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख तिरसठ हजार एक सौ चौवालिस रुपये मात्र) की मांग की गयी है।)

आप द्वारा दूरभाष पर हुयी वार्ता में यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में आवंटित बजट लगभग 5.50 करोड़ है तथा आपके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि जो वन भूमि कैमूर संरक्षित वन क्षेत्र में पड़ रही है, उस क्षेत्र में कार्य किये जाने की अनुमति राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही, दिये जाने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में किया गया है, जिस कारणवश कैमूर वन्य जीव विहार से आच्छादित क्षेत्र में वर्तमान में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बजट के अभाव तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि अभी वर्तमान में कार्य ओबरा वन प्रभाग से आच्छादित वन क्षेत्र में ही होना है। आपके द्वारा अनुरोध किया गया कि सिर्फ ओबरा वन प्रभाग आच्छादित क्षेत्र से सम्बन्धित क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान कराया जाय और ओबरा वन प्रभाग से आच्छादित क्षेत्र पर ही कार्य करनें की अनुमति जारी किया जाय।

आपके द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के क्रम में ओबरा वन प्रभाग से आच्छादित क्षेत्र किमी0 संख्या 20.00 से 61.50 तक (34.6725हे0) से सम्बन्धित क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की गणना कर संशोधित मांग पत्र इस शर्त के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आप द्वारा अवशेष धनराशि के बजट का आवंटन हेतु अनुरोध कर दिया जायेगा तथा आपके द्वारा वन क्षेत्र में कार्य किये जाने के पूर्व अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु वचनबद्धता दी जायेगी।

अतः ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि 34.6725हे0 क्षेत्र के सम्बन्ध में वांछित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:—

क0सं0	प्रभाग का नाम	वांछित धनराशि का विवरण	धनराशि (रुपये में)	अभियुक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	सोनभद्र वन प्रभाग	क्षतिपूरक वनीकरण (सी0ए0)	74,83,300.00	प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि के सापेक्ष सोनभद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत 37.97हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि का उल्लेख कालम संख्या 4 में किया गया है।
2	ओबरा वन प्रभाग	एन0पी0वी0	3,32,08,627.00	—
3	ओबरा वन प्रभाग	वृक्षों की छपान हेतु	25,622.00	—
	योगः—		**4,07,17,549.00**	**—**

अतः इस कार्यालय के पत्रांक—3055/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक—16.06.2022 के बिन्दु संख्या 3, 6 व 9 में उल्लिखित धनराशि में से ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित कुल धनराशि मु0 4,07,17,549.00 रुपये में से क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन0पी0वी0 की कुल धनराशि मु0 4,06,91,927.00 (चार करोड़ छः लाख इक्यानबे हजार नौ सौ सत्ताईस रुपये) मात्र रुपये ई—पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कॅम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करे तथा बिन्दु संख्या 9 द्वारा वांछित प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान हेतु धनराशि रू0 25,622.00(मु0 पच्चीस हजार छः सौ बाईस रुपये मात्र) का बैंक डाफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा भारतीय वन स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध करानें का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

संख्या 3062 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा—सोनभद्र।

O/C

संशोधित।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 3055 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक, 16/06/ 2022.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, सोनभद्र।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/ 251/2021/एफ0सी0 /715 दिनांक–04.02.2022. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–2315/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0 /रोड/59458/2020 दिनांक–08.02.2022 तथा इस कार्यालय के पत्रांक–2188/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–14.03.2022.

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/ 251/2021/एफ0सी0 /715 दिनांक–04.02.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में वांछित धनराशि एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करानें हेतु आपसे अनुरोध किया गया था। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संशोधित एन0पी0वी0 की गणना एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित धनराशि से सम्बन्धित प्राक्कलन पर सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर संशोधित मांग पत्र जारी करनें का निर्देश दिया गया है, तत्कम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक–04.02.2022 द्वारा कुल 31 शर्तो के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करानें का कष्ट करेंः–

क0 सं0	भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी / यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0 /715 दिनांक–04.02.2022 द्वारा लगायी गयी शर्त	अनुपालन आख्या/वांछित धनराशि
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि के कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग के नाम हस्तानान्तरण करानें का कष्ट करें।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an equivalent area of 45.2925 ha. non forest land 4.2263 ha. in village Devhar. 2.7 ha. in Perh Patch-1, 1.518 ha. in Perh Patch-2, 1.9045 ha. in Perh Patch-3, 1.2 ha. in Perh Patch-4. 33.7437 ha. in village Rampur, Range Robertsganj, District – Sonbhadra at the cost of the user agency. As for as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि 45.2925हे0 के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि में से ग्राम–ग्राम–रामपुर में 33.7437हे0 व ग्राम–देवहार में 4.2263हे0 कुल 37.97हे0 क्षेत्र सोनभद्र वन प्रभाग तथा ग्राम–पेढ में पैच नं0 1 में 2.700, पैच नं0 2 में 1.518, पैच नं0 3 में 1.9045 व पैच नं0 4 में 1.20हे0 कुल 7.3225हे0 कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत है। प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय के पत्र संख्या–16.06.2022 के अनुसार, सोनभद्र वन प्रभाग के अन्तर्गत प्राप्त 37.97हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7483300.00 रुपये तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्र दिनांक– 03.03.2022 के अनुसार कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत प्राप्त कुल 7.3225हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4965000.00 रुपये, अतः दोनो वन प्रभागों के अन्तर्गत कुल प्राप्त 45.2925 गैर वन भूमि पर क्षतिपूकर वृक्षारोपण हेतु कुल 1,24,48,300.00 (एक करोड़ चौबीस लाख अड़तालिस हजार तीन सौ रुपये मात्र) ई–पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कॅम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act. 1927. Or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval.	इस शर्त के अनुपानल में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण/अमलदरामद करने का कष्ट करें। जिससे कि प्राप्त गैर वन भूमि का संरक्षित/ आरक्षित वन घोषित कराया जा सके।
5	The cost compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि का सर्वेक्षण सीमांकन एवं स्थायी स्तम्भों का निर्माण हेतु वर्तमान मजदूरी दरों के आधार पर बिन्दु संख्या 3 में उल्लिखित धनराशि ई–पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कॅम्पा फण्ड

	required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
6.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 45.2925 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09.05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.	इस शर्त के अनुपानल में परियोजना में प्रभावित होने वाले वन भूमि 45.2925हे0 वन भूमि का भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.01.2022 द्वारा निर्धारित दर मु0 9,57,780.00 रुपये (नौ लाख सन्तावन हजार सात सौ अस्सी रुपये मात्र) प्रति हे0 की दर से कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव विहार के अन्दर पड़ने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की गणना के अनुसार कुल 5,19,06,217.00 (पांच करोड़ उन्नीस लाख छः हजार दो सौ सतरह रुपये मात्र) तथा ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा द्वारा तैयार किया गया एन0पी0वी0 की गणना के अनुसार कुल 3,32,08,627.00 (तीन करोड़ बत्तीस लाख आठ हजार छः सौ सत्ताईस रुपये मात्र) कैमूर एवं ओबरा वन प्रभाग का कुल एन0पी0वी0 की धनराशि मु0 8,51,14,844.00 (आठ करोड़ इक्यावन लाख चौदह हजार आठ सौ चौवालिस रुपये मात्र) ई–पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कॅम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष एन0पी0वी0 की धनराशि के अतिरिक्त, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश/ भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यदि कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करानें का कष्ट करें।
8	All the procedural formalities should be followed in view of the Model Code of conduct enforced	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आगामी यू0पी0 विधान सभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आराच संहिता के मद्देनजर सभी प्रक्रियात्मक

<table>
<tr><td></td><td>due to upcoming U.P. State Assembly Election.</td><td>औपचारिकताओं का पालन किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>User agency shall restrict the felling of trees to minimum number fin the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.</td><td>इस शर्त के क्रम में परियोजना में प्रभावित ओबरा वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में प्रभावित कुल 1308 वृक्षों का गणना/छपान किया जाना है। प्रमुख वन संरक्षक उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–77/16–57 दिनांक–07.08.2013 से छपान हेतु निर्धारित 23.00/प्रति वृक्ष पौध कोलतार का कीमत एवं सामग्री व श्रमांश सहित निर्धारित किया गया है। अतः निम्नानुसार निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने का कश्ट करें :–
<table>
<tr><th>प्रभाग का नाम</th><th>प्रभाग से संबंधित प्रभावित वृक्षो की कुल संख्या</th><th><u>गणना/छपान</u> हेतु निर्धारित दर प्रति पौध</th><th><u>गणना/छपान</u> हेतु कुल निर्धारित धनराषि</th></tr>
<tr><td>ओबरा</td><td>1114</td><td>23/–</td><td>25,622.00</td></tr>
<tr><td>कैमूर वन्य जीव प्रभाग</td><td>194</td><td>23/–</td><td>4,462.00</td></tr>
<tr><td>योग–</td><td>1308</td><td></td><td>30,084.00</td></tr>
</table>
उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि रू0 25622/–(मु0 पच्चीस हजार छः सौ बाईस रुपये मात्र) का बैंक डाफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से तथा 4462.00 (चार हजार चार सौ बासठ रुपये मात्र) का बैंक डाफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पद नाम से बना हो तथा भारतीय वन स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो उपलब्ध कराया जाय।
उक्त के अतिरिक्त इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि प्रभावित वृक्षो के पातन किये जाने एवं ढुलान आदि पर होने वाले व्यय की निर्धारित धनराशि उ0प्र0 वन निगम रेनुकूट द्वारा मॉग की जायेगी उसे जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता हूँ ।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</td><td>इस शर्त के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बधित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध करानें का कष्ट करें।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Speed regulation signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Area.</td><td>इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सड़क के किनारे वन क्षेत्र के नियमित अंतराल पर साईन बोर्ड लगाये जायेंगे।</td></tr>
</table>

12	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी0डब्लू0एल0डब्लू0 / एन0बी0डब्लू0एल0 / एफ0एस0सी0 / आर0ई0सी0 के अनुसार अनुमति लिया जायेगा।
13	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार पर्यावरण अनुमति लिया जायेगा।
14	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि बिना केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के प्रस्ताव के लेआउट प्लान में बदलाव नहीं किया जायेगा।
15	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
16	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग या वन निगम या वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य श्रोत से खरीदकर पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, वैकल्पिक ईधन मजदूरों को दिया जायेगा।
17	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground of the project cost as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि हस्तान्तरित वन भूमि की सीमा निर्धारण सम्बन्धित सम्भागीय अधिकारी के निर्देशानुसार परियोजना के लागत के अनुसार किया जायेगा।
18	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि परियोजना कार्य को निष्पादित हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नयां मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा।
19	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in fovour of the user agency or the project life, whichever is less.	इस शर्त के अनुपालन में हस्तान्तरित वन भूमि, लीज की अवधि तक मान्य होगी।
20	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
21	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि हस्तान्तरित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार

	any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	के पूर्वानुमोदन के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
22	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.	इस शर्त के अनुपालन में हस्तान्तरित वन भूमि का के0एम0एल0 फाईल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्य शुरु होने से पहले आवश्यक विवरण के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
23	Site inspection shall be done before issuing approval for Stage-II.	इस शर्त के अनुपालन में स्टेज II हेतु अनुमोदन जारी करनें से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जायेगा।
24	NBWL clearance needs to be submitted.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि एन0बी0डब्लू0एल0 क्लीयरेन्स प्राप्त कर जमा किया जायेगा।
25	An undertaking needs to be submitted by user agency for abiding by all conditions imposed in Wildlife clearance.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्यजीव मंजूरी में लगाई गयी सभी शर्तो का पालन करनें के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
26	Undertaking to be given by the user agency for not initiating any works in Protected area (P.A) till clearance from NBWL is obtained. Concerned DFO should ensure that no works are executed in Protected rear (P.A) till NBWL clearance is obtained.	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना एन0बी0डब्लू0एल0 से मंजूरी प्राप्त किये संरक्षित क्षेत्र में कोई कार्य शुरु न करनें हेतु वचनबद्धता उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना एन0बी0डब्लू0एल0 के मंजूरी के संरक्षित क्षेत्र में कोई कार्य निष्पादित न किया जाय।
27	If clearance from NBWL in not granted then this principle approval shall stand revoked impromptu and no claim shall be made by the user agency for works done in area outside Protected Area (P.A)	इस शर्त के अनुपालन में यदि एन0बी0डब्लू0एल0 द्वारा यदि मंजूरी नहीं दी जाती है तो यह सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त माना जायेगा तथा संरक्षित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में किये गये कार्यो के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई दावा नहीं किया जायेगा।
28	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	इस शर्त के अनुपालन में किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–11–42 /2017–एफ0सी0 दिनांक–29.01.2018 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

29	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के हित में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
30	All the funds received from the user agency under the project shall be transferrd 2 deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh. nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्त एजेन्सी से प्राप्त सभी निधियों की धनराशि कैम्पा निधि में जमा किया जायेगा।
31	The compliance repost shall be uploaded on e-portal (https:// parivesh .nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन में अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 द्वारा वांछित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि व बिन्दु संख्या 6 में एन0पी0वी0 की धनराशि व बिन्दु संख्या 9 में छपान हेतु वांछित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क0सं0	प्रभाग का नाम	वांछित धनराशि का विवरण	धनराशि (रुपये में)
1	सोनभद्र वन प्रभाग	क्षतिपूरक वनीकरण (सी0ए0)	7483300.00
2	कैमूर वन्य जीव प्रभाग	क्षतिपूरक वनीकरण (सी0ए0)	4965000.00
		योग:–	**12448300.00**
3	ओबरा वन प्रभाग	एन0पी0वी0	33208627.00
4	कैमूर वन्य जीव प्रभाग	एन0पी0वी0	51906217.00
		योग:–	**85114844.00**
5	ओबरा वन प्रभाग	वृक्षों की छपान हेतु	25622.00
6	कैमूर वन्य जीव प्रभाग	वृक्षों की छपान हेतु	4462.00

उक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या 3 द्वारा वांछित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि मु0 1,24,48,300.00 रुपये, बिन्दु संख्या 6 द्वारा वांछित एन0पी0वी0 की धनराशि मु0 8,51,14,844.00 रुपये कुल धनराशि मु0 9,75,63,144.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख तिरसठ हजार एक सौ चौवालिस रुपये मात्र) रुपये ई–पोर्टल https://parivesh.nic.in/ के माध्यम से कॅम्पा फण्ड दिल्ली में जमा करते हुए, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानें का कष्ट करे तथा बिन्दु संख्या 9 द्वारा वांछित प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान हेतु धनराशि रू0 25622.00(मु0 पच्चीस हजार छः सौ बाईस रुपये मात्र) का बैंक डाफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के पद नाम से बना हो तथा तथा भारतीय स्टेट बैंक रावर्टसगंज शाखा पर देय हो एवं 4462.00 (चार हजार चार सौ बासठ रुपये मात्र) का बैंक डाफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पद नाम से बना हो तथा भारतीय स्टेट बैंक मीरजापुर शाखा पर देय हो, उपलब्ध करानें के साथ साथ भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित

पत्र द्वारा लगायी गयी शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में मय संलग्नक सहित उपलब्ध करानें का कष्ट करें। जिससे कि आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या 3055 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C